

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या-पोनि0 30-159 / 2021 2171

प्रेषक,

दिनेश कुमार
उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक- 7.6.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-755, दिनांक-22.04.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बनमनखी	0	1	1	
	कुल	0	1	1	

2. पूर्व से अनुमोदित एवं अद्यतन अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

[Signature]
07/06/21

उप सचिव।

ज्ञापांक- 2171 /-

पटना, दिनांक- 7.6.21 /-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

[Signature]
07/06/21
उप सचिव।

कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनमनखी, (पूर्णिमा)

प्रपत्र-2

{ नियम 2(भ) के अधीन }

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

जिला-पूर्णिमा

प्रखंड-बनमनखी

ग्राम पंचायत- सहुरिया सुभाय मिलिक

पूर्व से अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा०नि०क्षे० सं०-.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र०. से ... तक)	भवन सरकारी/ अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुंचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भर होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ऑनगबाड़ी केन्द्र सं०-249, जानकीनगर	संशोधन की आवश्यकता नहीं।	-	सहुरिया सुभाय मिलिक प्रा०नि०क्षे०सं०-08 कारी मंडल टोला, ईटहरी शर्मा टोला अंश के लिये।	01 से 464 तक	हाँ	2	02 कि०मी० से कम	हाँ	हाँ	वार्ड सं०-08 में कोई सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण वार्ड सं०-14 में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है। पंचायत आम निर्वाचन-16 में आयोग के पत्रांक-3778/दिनांक-03.05.16 के द्वारा अनुमोदित है। इसमें अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
49(क)	मध्य विद्यालय ईटहरी ततमा टोल उत्तर भाग	49(क)-मध्य विद्यालय ईटहरी ततमा टोल उत्तर भाग (वार्ड सं०-16 में अवस्थित)	वार्ड सं०-08 के बीचोबीच जे०बी०सी० नहर के बहाव के कारण आवागमन में असुविधा के दृष्टिकोण से वार्ड सं०-14 के बदले वार्ड सं०-16 में इस मतदान केन्द्र को स्थापित करने की आवश्यकता है।	सहुरिया सुभाय मिलिक प्रा०नि०क्षे०सं०-08 कारी मंडल टोला, ईटहरी शर्मा टोला शेष मतदाताओं के लिये।	465 से 1064 तक।	हाँ	2	02 कि०मी० से कम	हाँ	हाँ	वार्ड सं०-08 में कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने तथा वार्ड के मध्य में जे०बी०सी० नहर के कारण क्रमांक-1 पर अवस्थित मूल मतदान केन्द्र सं०-49 पर वार्ड सं०-08 के शेष मतदाता को पहुंचने में 06 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रस्तावित स्थल पर मतदान केन्द्र होने से मतदाता को मात्र 02 कि०मी० की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि इस मतदान केन्द्र का अनुमोदन वर्ष 2016 के पंचायत आम निर्वाचन में भी आयोग के द्वारा किया गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

बनमनखी

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदा०(प०), पूर्णिमा।